न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।
उपस्थितः विनोद सिंह रावत (उच्चतर न्यायिक सेवा)
J.O. Code – UP 1893

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 440/2026
कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन नं०– 1179/2026
(CNR No: UPGZ010027542026)

गोविन्द पुत्र स्व० जगदीश उम्र करीब 38 वर्ष निवासी ग्राम नरऊ थाना उझानी जिला– बदायूं।

..... आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०सरकार ... .विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या– 593/2025
धारा–103(1), 238, 315, 3(5)बी.एन.एस.
थाना–विजयनगर, जिला गाजियाबाद।

.....

05.03.2026

1. यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त गोविन्द की ओर से उपरोक्त मामले में स्वयं को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्त की ओर से आवेदक/अभियुक्त के पैरोकार होतिलाल द्वारा इस आशय का शपथपत्र दिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अलावा अन्य कोई प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा संजय कुमार ने दिनांक 01.12.2025 को थाना विजयनगर पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है कि वादी के मोबाइल नम्बर 8130861668 पर समय करीब 9.25AM पर उसके पिता जी के मोबाइल नम्बर 8512091350 ओप्पो से कॉल आई। उसके पिता जी ने उसे बताया कि अलीगढ के लिए 3200 रूपये की प्राइवेट बुकिंग मिल गयी है। दो लड़को को लेकर अलीगढ जा रहा है। यू.पी. टोल टैक्स के लिए 600 रूपये भेज दो। उसने अपने पिता जी के खाते पर ऑनलाइन फोनपेय से 400 रूपये भेज दिये तथा 200 रूपये उसके भाई अजय ने अपने फोनपेय से ऑनलाइन कर दिये। वादी ने 400 रूपये अपने मामा श्री सीताराम के मोबाइल नम्बर 7065556210 से किए थे। उसने शाम के 6.30 बजे करीब अपने पिता जी को फोन किया तो फोन बन्द था, उसके बाद इन लोगों ने पिता जी को काफी फोन किये लेकिन फोन लगातार बन्द आ रहा था। उसने पिता जी के बारे में काफी खोजबीन की लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। उसी दिन दिनांक 20.11.2025 को समय करीब रात्रि 9.19 बजे फोन से सूचना मिली कि अंतरिक्ष बिल्डिंग के सामने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर गाडी नं. HR 38AF 0602 में एक व्यक्ति का शव मिला है। सूचनाकर्ता ने अपना नाम सोनू शर्मा दरोगा जी बताया तथा बताया कि मृतक का शव जिला एम.एम.जी. अस्पताल गाजियाबाद में रखा हुआ है। सूचना पर वादी तथा वादी का परिवार गाजियाबाद

Digitally signed by Vinod Singh Rawat
Date: 2026.03.06 10:20:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आकर एम.एम.जी. अस्पताल गये और देखा तो उसके ही पिता जी का शव था। उसे पूर्ण अंदेशा है कि उसके पिता जी की गाडी को बुक कराकर ले जाने वाले दोनों अज्ञात लोगों ने गाडी को लेने के इरादे से हत्या कर शव को गाडी में पीछे की सीट के पास पायदान पर डालकर गाडी में छिपा दिया तथा उसके पिता जी का ओम्पो मोबाइल भी चुरा लिया है।

4. आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में यह कहा गया है कि आवेदक /अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक/अभियुक्त नामजद अभियुक्त नहीं है। आवेदक/अभियुक्त से जो बरामदगी दर्शित की गयी है वह झूठी व असत्य है। आवेदक/अभियुक्त से एक अदद मोबाइल ओपो कम्पनी का दिखाया है उसके सम्बन्ध में मृतक के नाम का कोई भी प्रपत्र पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई भी मोटिव नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज करायी गयी है। कथित बरामदगी 12 दिन बाद बरामद होना दिखाई है ये कैसे संभव है कि घटना में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु को अभियुक्त 12 दिन तक अपने पास रखेगा। विवेचनाधिकारी द्वारा इलेक्ट्रोनिक साक्ष्य की धारा 65 बी का अनुपालन नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक /अभियुक्त दिनांक 02.12.2025 से कारागार में निरूद्ध है। उपरोक्त आधार पर जमानत की याचना की गयी है।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त उक्त अपराध में संलिप्त रहा है। आवेदक/अभियुक्त से मृतक का मोबाइल फोन बरामद हुआ है तथा यह भी कहा है कि मृतक तथा आवेदक/अभियुक्त की लोकेशन एक ही जगह की दर्शित की गयी है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। उपरोक्त आधार पर जमानत का कोई आधार नहीं है।

6. आवेदक/अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्क सुने गये तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

7. अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा के पिता ने दिनांक 20.11.2025 को बताया कि उसे अलीगढ के लिए बुकिंग मिल गयी है और वह दो लडको को लेकर अलीगढ जा रहा है। बाद में उसके पिता जी से कोई सम्पर्क नहीं हुआ और दिनांक 20.11.2025 को समय करीब रात्रि 9.19 पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव मिला है, सूचना पर एम.एम.जी. अस्पताल गये तो देखा तो उसके पिता जी का ही शव था। साक्षी विकास कुमार ने अपने बयान में कहा है कि वह किराये पर टैक्सी चलाता है तथा हरिराम पोददार (मृतक) ने उसे बताया कि उसे एक बुकिंग अलीगढ की मिल गयी है और हरिराम पोददार दो लड़को को लेकर अपनी गाडी से अलीगढ के लिये चले गये थे। बाद में पता चला कि उन दो लडकों ने हरिराम पोददार की गाडी के अन्दर ही गला घोटकर हत्या कर शव को कार के अन्दर सीट के नीचे छिपाकर गाजियाबाद में विजयनगर क्षेत्र में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर छोडकर भाग गये। दौरान विवेचना यह तथ्य प्रकाश में आया है कि सी.डी.आर. के अवलोकन करने पर मृतक हरिराम पोददार तथा अभियुक्त गोविन्द एवं छोटू उर्फ शनि के मोबाइलों की लोकेशन एक ही स्थान पर पायी गयी तथा अभियुक्त से गिरफ्तारी के समय मृतक का एक अदद मोबाइल फोन ओपो कम्पनी का बरामद होना कहा गया है। पोस्टमार्टम आख्या के अनुसार मृतक की मृत्यु Asphyxia due to Antemortem strangulation से होना दर्शित है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

8. उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त गोविन्द की ओर से उपरोक्त अपराध में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(विनोद सिंह रावत)
सत्र न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

दि० 05.03.2026